



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237394
CG-DL-E-20072022-237394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3088]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/ आषाढ़ 29, 1944

No. 3088]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3248(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 1195 दिनांक 21 मार्च 2022 का.आ. 1236(अ) दिनांक 15 मार्च, 2022 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के जिला झांसी की तहसील-झांसी, की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आईएचबी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें “कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 12 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आईएचबी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आईएचबी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : झांसी

जिला : झांसी

राज्य : उत्तर प्रदेश

गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
घिसौली	1	00	01	34
	7	00	17	37
	6	00	43	29
	10	00	59	72
	11	00	65	74
	कुल	01	87	46
वैजपुर	351	00	01	14
	563	00	11	91
	478	00	01	69
	477	00	03	32
	409	00	04	09
	401	00	10	18
	402	00	06	36
	403	00	13	26
	376	00	05	52
	380	00	31	67
	352	00	13	61
	कुल	01	02	75
मनकुंवा	541	00	15	76
	543	00	09	36
	540	00	00	61
	539	00	06	11
	542	00	07	29
	कुल	00	39	13
रसीना	810	00	01	06
	1	00	00	42
	41	00	00	82

गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	25	00	29	89
	947/1	00	09	53
	कुल	00	41	72

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3248(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 1195 dated 21.03.2022, S.O. No. 1236(E) dated 15.03.2022 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Jhansi District Jhansi in UP State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 12 April 2022.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : JHANSI

DISTRICT : JHANSI

STATE : UTTAR PRADESH

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
GHISOLI	1	00	01	34
	7	00	17	37
	6	00	43	29
	10	00	59	72
	11	00	65	74
	Total	01	87	46

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
BAIJPUR	351	00	01	14
	563	00	11	91
	478	00	01	69
	477	00	03	32
	409	00	04	09
	401	00	10	18
	402	00	06	36
	403	00	13	26
	376	00	05	52
	380	00	31	67
	352	00	13	61
	Total	01	02	75
MANKUWA	541	00	15	76
	543	00	09	36
	540	00	00	61
	539	00	06	11
	542	00	07	29
	Total	00	39	13
RASINA	810	00	01	06
	1	00	00	42
	41	00	00	82
	25	00	29	89
	947/1	00	09	53
	Total	00	41	72

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under secy.